कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, रा0 मा0 लो0 नि0 वि0,
सुलतानपुर

पत्रांक–1399 / 3 काम 2 ई0पी0सी0 / 2017 दिनांकः 22 अगस्त 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, फैजाबाद।

विषयः– जनपद–फैजाबाद में फैजाबाद–इलाहाबाद रा0 मा0 संख्या–330 (ओल्ड–96) के किमी. 12.600 से किमी0 12.950 तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 0.840 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक 201 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ का पत्रांक 493 / 11–सी –एफ0 पी0 यू0 पी0 रोड / 19199 / 2016 दिनांक 21–8–2017 एंव भारत सरकार, का पत्रांक 8बी0 / यू0पी0 / 06 / 18 / 2017 / एफ0सी0 / 129 दिनांक 8–3–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार करते हुए पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–भारत सरकार के बिन्दु के निराकरण के कम में प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागीय बनाधिकारी,फैजाबाद एंव प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित रंगीन टोपो शीट तथा जियो रिफरेन्स डिजिटल मैप आनलाइन भाग–1 में अपलोड कर दिया गया है।

2–भारत सरकार के बिन्दु संख्या–6 के निराकरण के कम में आवश्यक कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

3–भारत सरकार के विन्दु संख्या–8 के निराकरण के सम्बन्ध में संलग्न वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के नीचे जिलाधिकारी, फैजाबाद की मुहर लगा दी गई है।

4–भारत सरकार के बिन्दु संख्या–9 पर आवश्यक कार्यवाही आपके कार्यालय से वांछित है।

संलग्नक– 9 बिन्दु की संशोधित आख्या।

भवदीय
अधिशाषी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, रा0मा0 लो0 नि0 वि0,
सुलतानपुर।

पत्रांक एवं दिनांकः– यथोक्त।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता,अस्थाई खण्ड , रा0 मा0, लोक निर्माण , सुलतानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

अधिशाषी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, रा0मा0 लो0 नि0 वि0,
सुलतानपुर।

Proposed Forest Land Diversion of 0.84 ha with felling of 201 number of trees for Establishment of Toll Plaza on Faizabad-Allahabad NH-330 (Old NH-96) between Km. 12.600 to Km. 12.950 in Faizabad District of Uttar Pradesh

S.no	Question	Answer
1.	Reasons / Justification of location of Toll Plaza at the proposed site are not provided with the proposal.	स्वीकृत स्थल पर प्रस्तावित टोल प्लाजा स्थल पर अधिक चौड़ाई की आवश्यकता होने के कारण एवं आबादी भाग होने एवं तमसा नदी सेतु के पहुँच मार्ग के अति निकट होने के कारण ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से नहीं रह पाता एवं सदैव जाम बने रहने की संभावना बनी रहती। अतः लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर टोल प्लाजा निकटतम दूरी पर शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा गया, जिसकी अनुमति भारत सरकार, मोर्थ के फाईल सं0–NH-12014/ 11/2014/ UP /NH-II दिनांक 18.04.2016 द्वारा प्रदान की गयी है, तदनुसार टोल प्लाजा हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन कर प्रस्ताव भेजा गया है।
2.	The alternatives of locating the toll plaza analysed/examined and there results have also not been provided with the proposal	प्रस्तावित स्थल का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार किया गया है कि संदर्भित भाग से गुजरने वाले अधिकतम वाहन टोल प्लाजा से होकर गुजरें, जिससे कि अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो सके। उक्त आधार पर ही टोल प्लाजा लोकेशन प्रस्तावित की गयी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली (मोर्थ) के फाईल सं0–NH-12014/11/2014/UP/NH-II दिनांक 18.04.2016 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग के किमी0 13 (चैनेज 12.600 से 12.950) में ही टोल प्लाजा की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है (छाया प्रति संलग्न) अतः अन्य कोई विकल्प पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
3.	The uploaded Survey of India topo sheet and geo referenced map for proposed forest land diversion has not been authenticated by the concerned District Level forest official.	आनलाइन पार्ट–। में निर्देशानुसार टोपोशीट व जियो रिफरेंश मैप अपलोड कर दिया गया है।
4.	Forest land gazette notification is not legible, un authenticated and the concerned portion of notification relevant for the proposal has not been marked/highlighted.	नोटिफिकेशन की सुस्पष्ट फोटो प्रति संलग्न कर दी गयी है। साथ ही उसे हाईलाईट भी कर दिया गया है।
5.	The forest area calculation submitted with the proposal is incorrect and is not as per the layout plan.	टोल प्लाजा निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता मात्र 34.00मीटर ही है जो कि सड़क सीमा (ROW) के अन्तर्गत ही है। फारमेशन चौड़ाई 10मी0 छोड़कर शेष मार्ग के दोनों ओर 12–12मीटर चौड़ाई एवं 350मी0 लम्बाई गणना हेतु ली गयी है और इसी के अनुसार ही गणना भी की गयी है, जो कि सही है।
6.	The information provided at Sr. No. 13(i) part II shows proposed compensatory afforestation on equivalent forest land which is contradictory to provisions contained in para 3.2 of Handbook of FCA. The Compensatory Afforestation Scheme should conform to the guidelines provided.	भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य FCA एक्ट के पैरा 3.2 के अनुसार प्रभावित वृक्षों का 10 गुना क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष रखरखाव का कार्य आरक्षित वन भूमि कुन्दरखा कलाँ, कुमारगंज रेंज में प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न है।
7.	The location of proposed CA is liner strip of the same road which may be widened in future and thus needs revision.	प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु लीनियर वृक्षारोपण के स्थान पर आरक्षित वन ब्लाक में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी KML फाइल मय GPS लोकेशन सहित संलग्न है।
8.	The language of certificate under FRA 2006 enclosed with the proposal is not as per format.	वनाधिकार कानून–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी की मुहर लगाते हुए संलग्न है।
9.	The legal status of forest land has not been mentioned in Site Inspection Report submitted with the proposal.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–27 पर संलग्न साइट निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रोटेक्टेड फारेस्ट लैण्ड अंकित करते हुए संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

Executive Engineer
Ty. Div (NH) PWD
Sultanpur

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा०मा०) लो०नि०वि०
सुलतानपुर